केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		को फोटो वादी पक्षकार बनाये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान एवं कोस्ट अदायगी हेतु दिनांक 20.2.18 को पेश हो। [illegible signature] 30.1.18
	20/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. वकील वादी ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते जिरह एवं कोस्ट अदायगी हेतु दिनांक 13.3.18 को पेश हो। [illegible signature] 20.2.18
[illegible] 13-3-18 L.T. हरीराम	13/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. वकील पक्षकार ने जिरह हेतु समय चाहा जो दिया जाता। पत्रावली वास्ते जिरह एवं कोस्ट अदायगी हेतु दिनांक 20.3.18 को पेश हो। [illegible signature] 13.3.18
	20/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. वकील वादी उपस्थित नहीं है। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में न्याय [illegible]

फर्द अहकाम

बनाम

...न्यायालय

...

विशेष विवरण	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		द्वारा दिनांक 30.1.18 को पारित आदेश की आज दिनांक 20.3.18 तक पालना नहीं हुई है वादी के वकील द्वारा दिनांक 20.2.18 को संशोधित उनवान पेश किया जा चुका है उक्त संशोधित उनवान को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 30.1.18 की पालना में कोर्ट फीस अदा नहीं की है तथा वकील वादी ने धारा 5 प्रार्थना पत्र O22R3, व 9 CPC के साथ प्रस्तुत किया है वह अपूर्ण है उक्त प्रार्थनापत्र के साथ वारिसान का वकालतनामा वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है वकालतनामा के अभाव में वकील वादी का वाद व प्रा.पत्र O22R3, 9 CPC खारिज किये जाने योग्य है पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुनने के पश्चात पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र O22R3 9 CPC समस्त पक्षकारों के साथ प्रस्तुत नहीं किया एवं उक्त पक्षकारों का वकालतनामा भी पेश नहीं किया है तथा न्याया	निशानी अंगूठा नि. हरीराम [illegible] 20-3-2018

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		करनी चाहिए थी उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी अपने वाद को चलाने में रुचि नहीं रख रहा है आज वास्ते वादी उपस्थित नहीं है नाही वादीगण स्वयं उपस्थित है न्यायालय में पुकार पर तीन बार आवाज लगवाई गई परन्तु वादी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वकील आदि उपस्थित नहीं है अतः वास्ते वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली नियम से दाखिल हो। आज दिनांक 20.3.18 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 20.3.18